बिहार विधान सभा वादवृत्त

—०—

(भाग १—कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

—०—

शुक्रवार, तिथि ७ मार्च १९७५ ई०

—०—

विषय-सूची

	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
अल्प सूचित प्रश्नोत्तर संख्या :—३७ एवं ३८ ।	१–७
तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या :—८४, ९१, ८२०, १११६, १११९, ११२०, ११२२, ११२३, ११२४, ११३०, ११३७, ११४२, एवं ११६१ ।	८–३३
परिशिष्ट १ एवं २ (प्रश्नों के लिखित उत्तर) :—	३४–४२
दैनिक निबन्ध	४३

—०—

टिप्पणी—जिन मन्त्रियों एवं सदस्यों ने अपना भाषण संशोधित नहीं किया है उनके नाम के आगे (*) चिह्न लगा दिया गया है ।

श्री केदार पाण्डेय —(१) राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में आर्थिक सुधार हेतु भूमि सुधार कानूनों को दृढ़ता से कार्यान्वित करने के उद्देश्य से वर्ष १९७३-७४ में भूमि सुधार वर्ष के रूप से एक अभियान चलाया और पुनः १९७४-७५ में इस कार्यक्रम का क्रम २ के रूप में चला रही है।

(२) जहां तक भूमि सुधार सम्बन्धी विभिन्न अधिनियमों की परिनियत समितियों के गठन का प्रश्न है, तत्काल ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(३) भूमि हदबन्दी कानून को संविधान की नौवीं अनुसूची में सम्मिलित कर नाजायज मुकदमेबाजी पर रोक लगा दी गई है। बटाईदारी कानून को भी ९वी अनुसूची में सम्मिलित करने के लिए भारत सरकार को लिखा गया है।

समाहर्त्ताओं को समय-समय पर अनुदेश भेजकर उनसे कहा गया है कि बटाईदारों के ऊपर नाजायज ढंग से फौजदारी मुकदमे आदि नहीं हो इस पर ध्यान रखा जाय। आरक्षी पदाधिकारियों को भी आदेश भेजा गया है कि जब बटाईदारी के मुकदमें चल रहे हों तो उस बीच फौजदारी के मुकदमें बटाईदारों पर दर्ज नहीं किए जांए।

अंचलाधिकारी की पदस्थापना

११५३। श्रीमती सुनैना शर्मा —क्या मन्त्री राजस्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :—

क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के बेलहर अंचल में एक वर्ष से अंचलाधिकारी का पद रिक्त है, यदि हां तो सरकार कब तक उक्त अंचल में अंचलाधिकारी को प्रतिनियुक्त करने का विचार करती है ?

श्री केदार पाण्डेय :—पदाधिकारियों की कमी के कारण बेलहर में अंचलाधिकारी का पदस्थापन नहीं किया जा सका है। एक अंचलाधिकारी को वहां पदस्थापित करने की कार्रवाई की जा रही है।